

24.05.2024:—पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वादी प्रतिवादी साक्ष्य नहीं चाहते साक्ष्य बन्द कि जाता है। वाद पत्र मे मुमाबिक राजीनाम निर्णय किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना मे तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को पत्र जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



*(Handwritten Signature)*

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारि

हनुमानगढ़